# पुनर्वास नीति के प्रावधान

**एनवीडीए के संरक्षण के तहत नर्मदा परियोजनाओं का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन:**

नर्मदा घाटी पर 29 बड़ी, 135 मध्यम और 3,000 छोटी परियोजनाएँ हैं जो विभिन्न प्रवस्थाओं में या तो पूर्ण हो चुकी हैं या पूर्णता की ओर हैं अथवा योजना स्तर पर हैं। सरदार सरोवर परियोजना को छोड़कर सभी इन चालू अंतरा राज्य परियोजनाओं की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नर्मदा परियोजनाओं हेतु राज्य की बनाई पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति (आर ऐन्ड आर पॉलिसी) के प्रावधानों द्वारा शासित की जा रही है। सरदार सरोवर परियोजना का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का संपूर्ण विस्तार नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण (एनडब्ल्युडीटी) अवार्ड के प्रावधानों और अंतर राज्यीय परियोजना होने के नाते राज्य शासन की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति द्वारा शासित किया जा रहा है।

**एनपीआरआर-2003/-एनडब्ल्युडीटी अवार्ड/ नर्मदा परियोजना से बेदखल किए गए व्यक्तियों हेतु राज्य की आर ऐन्ड आर नीति के विभिन्न प्रावधानों की अनुप्रयोज्यता:**

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | नीति/एनडब्ल्युडीटी अवार्ड के प्रावधानों की अनुप्रयोज्यता | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | इंदिरासागर, ओंकारेश्वर, मान, जोबट, अपर बेदा | नर्मदा परियोजनाओं के बेदखलों हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा बनाई गई पुनर्वास नीति | यह नीति नर्मदा घाटी की सभी चालू परियोजनाओ पर लागू की जा रही है। |
| 2 | सरदार सरोवर परियोजना | राज्य की नीति और एनडब्ल्युडीटी के प्रावधान। सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय के सभी दिशानिर्देश | डब्ल्युपी(सी) 319/94 एवं 328/ 2002 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश लागू किया जाना है। |
| 3 | अपर नर्मदा, हैलोन, लोवर गोई, होशंगाबाद, हांडिया एवं बोरास परियोजनाएँ | परियोजना से प्रभावित परिवारों- 2003 (एनपीआरआर-2003) हेतु आर ऐन्ड आर पर राष्ट्रीय नीति | नर्मदा घाटी की सभी आने वाली परियोजनाओं पर लागू किया जाना है। |

**नर्मदा परियोजना के बेदखलों हेतु मध्यप्रदेश राज्य सरकार की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति:**

1. नर्मदा परियोजना के बेदखलों हेतु राज्य की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के उद्देश्य एवं सिद्धांत निम्नलिखित हैं-

- जीवन स्तर में सुधार अथवा परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ्स) के जीवन स्तर को कम से कम उस स्तर तक पुन: प्राप्त करना जैसा कि वे विस्थापन के पूर्वक आनंदपूर्वक थे।

- बेदखल व्यक्तियों की प्राथमिकताओं के अनुसार गाँव की इकाइयों, गाँव के वर्गों अथवा परिवारों को पुन: स्थानन किया जाना।
- उस समुदाय में पूर्ण रूप से एकीकरण करना जहाँ उनका पुनर्वास किया गया है।
- उचित मुआवजा उपलब्ध कराना और सामुदायिक सेवाओं और सुविधाओं सहित पर्याप्त सामाजिक एवं भौतिक पुनर्स्थापन अधोसंरचना मुहैया कराना।
- उनके पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में परियोजना प्रभावित परिवार द्वारा पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करना।

**<u>विभिन्न चालू नर्मदा परियोजनाएँ अर्थात इंदिरासागर/ ओंकारेश्वर/ मान/ जोबट/ अपर बेदा परियोजनाओं पर लागू नीतियों के प्रावधान:</u>**

| नीति के प्रावधान | नर्मदा परियोजनाओं हेतु राज्य नीति के अनुसार |
|---|---|
| कृषि भूमि का मुआवजा | भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 23 के अनुसार कृषि भूमि का मुआवजा पीएचई, वन एवं उद्यान कृषि विभागों द्वारा दी गई मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कुआँ + पाइपलाइनों व वृक्षों की भूमि मुआवजा का बाजार मूल्य + 30 प्रतिशत मुआवजा + 12 प्रतिशत ब्याज (धारा 4 की अधिसूचना की तरीख से देय ब्याज) दिया जाएगा। |
| गृह एवं संपत्तियों का मुआवजा | घरों एवं अन्य अचल संपत्तियों का मुआवजा, भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 23 (सीएसआर के अनुसार) + 30 प्रतिशत मुआवजा + 12 प्रतिशत ब्याज (धारा 4 की अधिसूचना की तरीख से देय ब्याज) दिया जाएगा। |
| पुनर्वास अनुदान | 1. कृषि भूमिहीन श्रमिक परिवारों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों हेतु 18,700 रुपए<br>2. अन्य परिवारों को 9,350 रुपए |
| भूमिहीन व्यक्तियों को उत्पादक परिसंपत्तियॉ देने हेतु रोजगार संसाधन अनुदान | 1. कृषि भूमिहीन श्रमिकों, भूमिहीन अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति परिवारों हेतु 49,300 रुपए<br>2. अन्य भूमिहीन परिवारों को 33,150 रुपए |
| भूमि के बदले भूमि हेतु अन्य प्रावधान | पात्र परिवारों को जहॉ तक संभव हो (न्यूनतम 02 हेक्टेयर और अधिकतम 8 हेक्टेयर) भूमि के बदले भूमि आबंटित की जाएगी।<br>नीति के पैरा 3 व 5 के प्रावधानों के अनुसार बेदखल व्यक्ति को उसकी अर्जित भूमि मुआवजा का 50 प्रतिशत भुगतान और इसके पश्चात आबंटित भूमि की कीमत की बाकी बची 50 प्रतिशत मुआवजे की राशि को समायोजित करते हुए 20 ब्याजमुक्त किस्तों में वसूल की जाएगी। |
| परिवहन अनुदान | मुफ्त परिवहन अथवा नवीन आर ऐन्ड आर स्थल तक उनके घर के सामान को पहुँचाने हेतु परिवहन के लिए 5,000 रुपए |
| आवासीय प्लाट | ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को 90X60=5400 वर्गफिट का प्लाट अथवा 20,000 रुपए। |

| | |
|---|---|
| | शहरी क्षेत्र में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना स्थल हेतु 2400 वर्गफिट, 1,500 वर्गफिट एवं 540 वर्गफिट के प्लाट अथवा प्लाट के बदले 20,000 रुपए का अनुदान। |
| मुहर/पंजीकरण शुल्क | मध्यप्रदेश के भीतर कृषि भूमि अथवा अचल संपत्ति की खरीद हेतु परियोजना प्रभावित परिवारों को भुगतान की गई राशि की सीमा तक (परिवहन अनुदान को छोड़कर) |
| विशेष प्रावधान | (I) कुल कृषि भूमि को अर्जित करने का विकल्प यदि भूमिजोत का 75 प्रतिशत अर्जित कर लिया है।<br>(II) अतिक्रमण की गई भूमि का मुआवजा यदि अतिक्रमण 13 अप्रैल 1987 से पूर्व किया गया हो।<br>(III) बालिग पुत्रों एवं बालिग अविवाहित पुत्रियों को अलग परिवार के रूप में माना जाएगा यदि वे अधिसूचना की धारा 4 की तारीख को बालिग रहे हो। |

**<u>सरदार सरोवर परियोजना में लागू नीतियों के प्रावधान:</u>**

| नीति के प्रावधान | नर्मदा परियोजनाओं हेतु राज्य नीति एवं एनडब्ल्युडीटी के अनुसार |
|---|---|
| कृषि भूमि का मुआवजा | भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 23 के अनुसार कृषि भूमि का मुआवजा (पीएचई), वन एवं उद्यान कृषि विभागों द्वारा दी गई मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कुआँ + पाइपलाइनों व वृक्षों की भूमि मुआवजा का बाजार मूल्य + 30 प्रतिशत मुआवजा + 12 प्रतिशत ब्याज (धारा 4 की अधिसूचना की तरीख से देय ब्याज) दिया जाएगा। |
| गृह एवं संपत्तियों का मुआवजा | घरों एवं अन्य अचल संपत्तियों का मुआवजा, भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 23 (सीएसआर के अनुसार) + 30 प्रतिशत मुआवजा + 12 प्रतिशत ब्याज (धारा 4 की अधिसूचना की तरीख से देय ब्याज) दिया जाएगा। |
| पुनर्वास अनुदान | 1. कृषि भूमिहीन श्रमिक परिवारों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों हेतु 18,700 रुपए<br>2. अन्य परिवारों को 9,350 रुपए |
| भूमिहीन व्यक्तियों को उत्पादक परिसंपत्तियॉ देने हेतु रोजगार संसाधन अनुदान | 1. कृषि भूमिहीन श्रमिकों, भूमिहीन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति परिवारों हेतु 49,300 रुपए<br>2. अन्य भूमिहीन परिवारों को 33,150 रुपए |
| भूमि के बदले भूमि हेतु अन्य प्रावधान | पात्र परिवार जिन्हें 25 प्रतिशत अथवा इससे अधिक कृषि भूमि का नुकसान हुआ है उन्हें भूमि के बदले भूमि (न्यूनतम 02 हेक्टेयर और अधिकतम 8 हेक्टेयर) आबंटित की जाएगी।<br><br>ऐसे परिवारों के बालिग पुत्रों को भी 2 हेक्टेयर भूमि अथवा एसआरपी की राशि के समकक्ष आबंटित की जाएगी। |

| | |
|---|---|
| परिवहन अनुदान | मुफ्त परिवहन अथवा नवीन आर ऐन्ड आर स्थल तक उनके घर के सामान को पहुँचाने हेतु परिवहन के लिए 5,000 रुपए |
| आवासीय प्लाट | ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को 90X60=5400 वर्गफिट का प्लाट अथवा 50,000 रुपए।<br>शहरी क्षेत्र में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना स्थल पर 40X60=2400 वर्गफिट का प्लाट अथवा 50,000 रुपए, आवासीय प्लाट को अस्वीकार करने वाले संयुक्त परिवारों को न्यूनतम एक प्लाट लेना होगा। |
| मुहर/पंजीकरण शुल्क | मध्यप्रदेश के भीतर कृषि भूमि अथवा अचल संपत्ति की खरीद हेतु परियोजना प्रभावित परिवारों को भुगतान की गई राशि की सीमा तक (परिवहन अनुदान को छोड़कर) |
| विशेष प्रावधान | (I) कुल कृषि भूमि को अर्जित करने का विकल्प यदि भूमिजोत का 75 प्रतिशत अर्जित कर लिया है।<br>(II) अतिक्रमण की गई भूमि का मुआवजा यदि अतिक्रमण 13 अप्रैल 1987 से पूर्व किया गया हो।<br>(III) बालिग पुत्रों एवं बालिग अविवाहित पुत्रियों को अलग परिवार के रूप में माना जाएगा यदि वे अधिसूचना की धारा 4 की तारीख को बालिग रहे हों। |

**<u>परियोजना प्रभावित परिवारों हेतु पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पर राष्ट्रीय नीति 2003 (एनपीआरआर-2003) सभी आगामी नर्मदा परियोजनाओं हेतु लागू किया जाना:</u>**

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने परियोजना प्रभावित परिवारों-2003 हेतु पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना पर राष्ट्रीय नीति बनाई है। नर्मदा नियंत्रण समिति (एनसीबी) ने अपनी 09 मार्च, 2006 की 29वीं बैठक में नर्मदा घाटी की सभी आगामी परियोजनाएँ जैसे हैलोन, अपर नर्मदा, लोवर गोई, होशंगाबाद, हांडिया एवं बोरास इत्यादि हेतु एनपीआरआर-2003 के प्रावधानों का अनुसरण का करने का निर्णय लिया है।

**<u>एनपीआरआर-2003 के उद्देश्य:</u>**

नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

(अ) विस्थापन को न्यून करना एवं गैर विस्थापन अथवा कम से कम विस्थापन के विकल्प की पहचान करना।
(ब) आदिवासियों एवं आरक्षित वर्गों की विशेष आवश्यकताओं सहित परियोजना प्रभावित परिवारों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की योजना बनाना।
(स) परियोजना प्रभावित परिवारों को बेहतर जीवनस्तर उपलब्ध कराना। और

(द) परस्पर सहयोग के माध्यम से अपेक्षा रखने वाले निकाय एवं परियोजना प्रभावित परिवारों के मध्य सामंजस्य पूर्ण संबंध बनाना।

**<u>परियोजना प्रभावित परिवारों हेतु पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हितलाभ:</u>**

- पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हितलाभों को सभी परियोजना प्रभावित परिवारों में विस्तारित किया जाएगा चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे अथवा गरीबी रेखा से नीचे नहीं हों।
- किसी परियोजना प्रभावित परिवार का अपना घर और जिसका घर अर्जित किया गया है, उसके अर्जित किए गए घर के क्षेत्रफल के वास्तविक नुकसान की सीमा तक गृह स्थल आबंटित किया जाएगा परंतु ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्गमीटर एवं शहरी क्षेत्र में 75 वर्गमीटर भूमि से अधिक न हो।
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाला प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार गृह निर्माण हेतु 25,000 रुपए की एक बार वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा। गरीबी रेखा से नीचे नहीं आने वाले परिवार यह वित्तीय सहायता प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
- प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार की प्रभावित क्षेत्र में स्वामित्व वाली कृषि भूमि और उसकी संपूर्ण भूमि जिसको अर्जित किया गया है, उसे अर्जित की गई वास्तविक भूमि के नुकसान की सीमा तक, जिलों में सरकारी भूमि की उपलब्धता के अधीन अधिकतम सिंचित भूमि का 01 हेक्टेयर अथवा असिंचित भूमि/बंजर भूमि का 02 हेक्टेयर आबंटित किया जाए।
- पंजीयन हेतु देय मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) एवं अन्य शुल्क को अपेक्षा रखने वाले निकाय द्वारा वहन किया जाएगा।
- आबंटित भूमि सभी ऋणभारों से मुक्त होगी। आबंटित भूमि को परियोजना प्रभावित परिवार के पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम से किया जा सकता है।
- अर्जित भूमि के एवज में आबंटित की गई बंजर भूमि/उपक्रमित भूमि के मामले में प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को भूमि के विकास हेतु 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कृषि भूमि आबंटन के मामले में परियोजना प्रभावित परिवार के लिए कृषि उत्पादन हेतु 5,000 रुपए की एक बार वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार जिसके पास मवेशी हैं, उसे मवेशी शेड निर्माण हेतु 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को प्रभावित क्षेत्र से पुनर्वास क्षेत्र तक गृह निर्माण सामग्री, सामान एवं मवेशी इत्यादि ले जाने हेतु परिवहन लागत के तौर पर 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार में शामिल ग्रामीण कारीगर/ छोटे व्यापारी और स्वनियोजित व्यक्ति को अपने कार्यस्थल शेड/ दुकान के निर्माण हेतु एक बार 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- प्रभावित क्षेत्र में प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार की स्वामित्व वाली कृषि भूमि और जिसकी संपूर्ण भूमि अर्जित की गई है, उसकी ''आजिविका का नुकसान'' होने पर एक बार वित्तीय सहायता के बराबर 750 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी मिलेगी जहॉ परियोजना प्रभावित परिवार के एक सदस्य को न तो कृषि भूमि और न हि नियमित रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
- प्रभावित क्षेत्र में प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार की स्वामित्व वाली कृषि भूमि और जिसकी संपूर्ण भूमि अर्जित नहीं की गई है और फलस्वरूप वह एक मामूली किसान बन जाता है, उसे एक बार न्यूनतम 500 दिनों की कृषि मजदूरी के बराबर वित्तीय सहायता मिलेगी।

- प्रभावित क्षेत्र में प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार की स्वामित्व वाली कृषि भूमि और फलस्वरूप वह एक छोटा किसान बन जाता है तो उसे एक बार न्यूनतम 375 दिनों की कृषि मजदूरी के बराबर वित्तीय सहायता मिलेगी।
- प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार जो ''खेतिहर मजदूर'' अथवा ''गैर खेतिहर मजदूर'' की श्रेणी संबंधित है तो उसे एक बार 625 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- प्रत्येक विस्थापित परियोजना प्रभावित परिवार को प्रतिमाह 20 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर मासिक निर्वाह भत्ता दिया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के लिए होगा और न्यूनतम मजदूरी के 250 दिन होंगे।
- आकस्मिक स्थिति में भूमि अर्जन करने के मामले में जैसा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 अथवा अन्य इसी की तरह लागू अधिनियम के तहत, प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को पारगमन आवास के साथ लंबित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना भी उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे परिवार नीति के तहत उपर्युक्त पैरा में वर्णित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हितलाभ पाने के हकदार होंगे।
- **लंबे विस्तार वाली भूमि अर्जन पर :** परियोजना से संबंधित रेलवे लाइन्स, हाइवे, पारेषण लाइन्स एवं पाइप लाइनें डालने के मामले में जहॉ केवल सकरे विस्तार वाली भूमि कई किलोमीटर अर्जित की जा रही हो, वहॉ प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को 10,000 रुपए की अनुग्रह राशि (एक्सग्रेसिया) दी जाएगी और उन्हें कोई पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हितलाभ नहीं दिया जाएगा।
- परियोजना प्रभावित परिवारों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हितलाभों के भाग के रूप में पुनर्वास क्षेत्र में स्वनियोजित परियोजनाओं को लेने के लिए उद्यमिता के विकास हेतु आवश्यक प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- जो परियोजना प्रभावित परिवार 25 अक्टूबर, 1980 से पूर्व वन भूमि के अधिकार क्षेत्र में थे, उन्हें नीति के तहत उपर्युक्त पैरा में दिए गए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के सभी हितलाभ दिए जाएंगे।
- परियोजना प्रभावित क्षेत्र में आरक्षण का हितलाभ प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति श्रेणी के परियोजना प्रभावित परिवार, पुनर्वास क्षेत्र में आरक्षण हितलाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

**<u>अनुसूचित जनजाति के परियोजना प्रभावित परिवारों हेतु पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हितलाभ:</u>**

- अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को भूमि आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।
- प्रत्येक आदिवासी परियोजना प्रभावित परिवार, नीति के तहत उपर्युक्त पैरा में वर्णित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हितलाभ प्राप्त करने का हकदार होगा।
- प्रत्येक आदिवासी परियोजना प्रभावित परिवार को वन उपज का उपयोग/ प्रथागत अधिकारों की हानि होने पर 500 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के समकक्ष अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- आदिवासी परियोजना प्रभावित परिवारों को एक कॉम्पेक्ट ब्लॉक में उनके प्राकृतिक आवास के समीप पुनर्स्थापित किया जाएगा ताकि वे अपने जातीय, भाषाई एवं सांस्कृतिक पहचान को कायम रख सकें।
- आदिवासी परियोजना प्रभावित परिवारों को सामुदायिक एवं धार्मिक सभा के लिए मुफ्त में भूमि मिलेगी।

- जिला/ तालुका से बाहर पुनर्स्थापित आदिवासी परियोजना प्रभावित परिवारों को मौद्रिक शर्तों में 25 प्रतिशत अधिक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हितलाभ मिलेगा।
- विषय पर लागू नियमों व विनियमों के उल्लंघन में अन्यसंक्रामणित आदिवासी भूमि को प्रभावहीन समझा जाएगा और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हितलाभ केवल मूल आदिवासी भूमि मालिक को उपलब्ध होंगे।
- आदिवासी परिवार जो परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं जिन्हें नदी/ तालाब/ बाँध में मछली पकड़ने का अधिकार प्राप्त है, उन्हें जलाशय क्षेत्र में मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाएगा।
- जो प्रभावित क्षेत्र में आदिवासी परियोजना प्रभावित परिवार, आरक्षण हितलाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे पुनर्वास क्षेत्र में भी आरक्षण हितलाभ पाने के हकदार होंगे।

**<u>पुनर्वास क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना:</u>**

प्रभावित क्षेत्र से पुनर्वास क्षेत्र में जनसमुदाय को विस्थापित किए जाने के दौरान पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु जहॉ तक संभव हो, प्रशासक सुनिश्चित करेगा कि-

- अ) ऐसे मामले में विस्थापित किए जाने किए जाने वाला गॉव/ क्षेत्र की पूरी जनसंख्या जो विशेष समुदाय की हो, इस प्रकार कि जनसंख्या/ परिवारों को सुसंबद्ध क्षेत्र में सामूहिक रूप से पुनर्वास किया जाए ताकि फिर से बसाए गए परिवारों के मध्य सामाजिक- सांस्कृतिक संबंध (सामाजिक सौहार्द) में गतिरोध न हो।
- ब) अनुसूचित जाति के परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के मामले में यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें गॉव के पास में पुनर्वासित किया गया है।

परियोजना प्रभावित परिवारों को उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार पुनर्वास स्थल पर आधारिक संरचना एवं मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। यह वांछनीय है कि पीने योग्य पानी, बिजली, स्कूलों, औषधालयों एवं एक जगह से दूसरी जगह के बीच पुनर्वास स्थलों पर पहुँच मार्ग संबंधी प्रावधान को पुनर्वास योजना के फोरम में सम्मिलित किया जाए।